

## कार्यालय

### प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैकटर 6, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6997 /

दिनांक:

15-3-17

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,  
पंचकुला।

विषय: Diversion of 5.1705 ha. of forest land for laying of OFC for NOFC Project in Shahzadpur Block  
D.E. (Trans.), BSNL, Ambala Cantt., under forest division and District Ambala, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Others/

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 3501 दिनांक 1-3-2017।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाक्ति पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषय उद्देश्य हेतु 5.1705 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सन्मतिलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. इस क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
3. प्रयोक्ता एजैन्सी रथानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
4. उपरोक्त गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ विछाई जाएगी खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः रथापित की जाएगी।
5. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगा।
6. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के रथानीय अधिनियमों की अनुमति प्राप्त करेगी।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
8. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
9. खाई (trench) की चौडाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
11. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से भी शर्त का क्रान्तिकारी सन्तोषप्रद नहीं है।

✓ FCA 15/3/17

DW 15/3

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला 15/3  
2. D.E. (Trans.), BSNL, Ambala Cantt.

नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफओसी)

कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा  
पंचकुला।